



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 72 राँची, मंगलवार, 28 जनवरी, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

27 जनवरी, 2025

संख्या-09/आरोप (पलामू)-65/2024 - 210-(09)/रा.,--श्री अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध मेसर्स आरण्या माईस के पक्ष में बिना Premium की राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क प्राप्त किये ही खनन पट्टा का निबंधित करने, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई है, के आरोप में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-09, दिनांक-04.01.2025 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है ।

2. श्री सिन्हा को घोर वित्तीय अनियमितता के आरोप तथा उपायुक्त, पलामू से प्राप्त साक्ष्यों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-6840, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

4. अपर समाहर्ता, पलामू को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के उप सचिव ।
